217

संख्याः–432 / VI(1) / 2014–15(05) / 2013

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 04 मार्च 2014

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–98 / 2013 (ऋषिकेश में प्रस्तावित संजय झील पर्यटन स्थल जो मेगा टूरिस्ट सर्किट में सम्मिलित है, को विकसित किया जायेगा) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–367 / 2–6–317 / 2013, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के कम में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–98 / 2013 (ऋषिकेश में प्रस्तावित संजय झील पर्यटन स्थल जो मेगा टूरिस्ट सर्किट में सम्मिलित है, को विकसित किया जायेगा) कार्य को सम्पादित किये जाने के लिए ₹ 10.00 लाख की नितान्त आवश्यकता के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में ऋषिकेश में प्रस्तावित संजय झील पर्यटन स्थल जो मेगा टूरिस्ट सर्किट के निर्माण कार्य को सम्पादित किये जाने के लिए ₹ 10.00 लाख की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य आकस्मिकता निधि से ₹ 10.00 लाख (**रूपये दस लाख मात्र**) की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री की प्रयोग में लायी जाये।

(v) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

(vii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2014 तक अवश्य कर लिया जाय।

...2

(ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(x) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रथमतया "8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि लेखा–201 समेकित निधि को विनियोजन" तथा अन्ततः अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104– संबर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

वित्त विभाग
संख्याः–24/XXVII(1)/रा0आक0निधि/2014, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून को एक *अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।*

आज्ञा से,

एल0एन0 पन्त
अपर सचिव, वित्त।

संख्याः–432/VI(1)/2014–15(05)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव।